

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर

5110. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की वर्ष-वार मुद्रास्फीति दर क्या रही है;
- (ख) खाद्य पदार्थों, विशेषकर दालों, गेहूं और खाद्य तेलों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार लाने और जमाखोरी को रोकने के लिए कोई नई व्यवस्था शुरू की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

- (क) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत भिन्नता द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति **अनुलग्नक** में दी गई है।
- (ख) : सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य रुझानों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने हेतु अंशांकित और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है। बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन तथा जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए, सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है। इसके अलावा, सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अप्रैल 2024 से खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत खुले बाजार में बिक्री के लिए 30 लाख टन गेहूं आवंटित किया है। घरेलू किसानों और खाद्य तेल उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए कीमतों को किफायती बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप करने हेतु खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों पर बारीकी से नजर रखी जाती है। दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक 'मुक्त' श्रेणी के तहत तूर और उड़द के आयात की अनुमति दी है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 31 मार्च, 2025 तक चना के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, दालों की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए, 31 मई, 2025 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति दी गई है। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी तथा अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने हेतु, सरकार ने भारतीय ड्यूरोम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए 13 मई, 2022 को गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए इसे 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रख दिया है।

(ग) और (घ): उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न संस्थाओं के पास दालों के स्टॉक की निगरानी करने तथा जमाखोरी को हतोत्साहित करने के लिए स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल विकसित किया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत ऑनलाइन स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों, डीलरों, आयातकों, मिल मालिकों, स्टॉकधारकों और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करें। इसी प्रकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे विभिन्न संस्थाओं द्वारा गेहूं के संबंध में स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करें।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5110 के भाग (क) के उत्तर में
उल्लिखित अनुलग्नक

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत भिन्नता द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति दर

(प्रतिशत में)

माह	2022-23	2023-24	2024-25
अप्रैल	8.31	3.84	8.70
मई	7.97	2.96	8.69
जून	7.75	4.55	9.36
जुलाई	6.69	11.51	5.42
अगस्त	7.62	9.94	5.66
सितंबर	8.60	6.62	9.24
अक्टूबर	7.01	6.61	10.87
नवंबर	4.67	8.70	9.04
दिसंबर	4.19	9.53	8.39
जनवरी	6.00	8.30	6.02
फरवरी	5.95	8.66	3.75
मार्च	4.79	8.52	

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
